प्रेस नोट
दिनांक 19.12.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त (कैशियर) को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 866/24, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त (कैशियर)– अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 15.11.2024 को वादी राम भोग पुत्र अशर्फीलाल निवासी ग्राम मोताजोत मलारी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह मु0अ0सं0– 27/2004 धारा 148, 307/149, 302/149 भादवि में दिनांक 21.04.2004 से 28.06.2022 तक जिला कारागार गोण्डा में निरुद्ध रहा है। उसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बड़गांव गोण्डा में बचत खाता संख्या है। उसकी जेल अवधि के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके फर्जी/कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर तथा बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक/कैशियर की मिलीभगत से दिनांक 18.11.2014 को ₹47,000/– की धनराशि खाते से निकाल ली गई गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 19.12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए तत्कालीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बड़गांव के कैशियर अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–866/24, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 विपुल पाण्डेय।
02. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय।
03. हे0कां0 विश्वामित्र त्रिपाठी।
04. कां0 संदीप चौहान।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 19.12.2025</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 अदद बैटरियां बरामद–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आर0टी0ओ0 कार्यालय परिसर गोण्डा से बैटरी चोरी करने वाले अभियुक्त कालीचरन उर्फ रूपनरायन पुत्र गुरु प्रसाद उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी दुरौनी डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो अदद वाहन की बैटरियां तथा बैटरी खोलने हेतु लोहे का सरिया बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 18.12.2025 को वादी श्री आशीष श्रीवास्तव पुत्र उमाशंकर लाल श्रीवास्तव निवासी पंतनगर थाना कोतवाली नगर गोण्डा द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त कालीचरन उर्फ रूपनरायन पुत्र गुरु प्रसाद निवासी दुरौनी डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को आर0टी0ओ0 कार्यालय परिसर में चालान की खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लिया गया है। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद चोरी की बैटरी (एक बैटरी लाल रंग एक्साइड तथा एक बैटरी सफेद रंग सोनिक) एवं घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की सरिया बरामद की गई। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. कालीचरन उर्फ रूपनरायन पुत्र गुरु प्रसाद उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी दुरौनी डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–1003/2025, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 02 अदद बैटरियां।
02. 01 अदद लोहे का सरिया।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 पिन्टू यादव मय टीम।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>